।।कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना बनीपार्क जयपुर (पश्चिम)।।

क्रमांकः- 718 दिनांकः 9/2/2021

श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त
सदर, जयपुर (पश्चिम)।

विषयः- सी एम हैल्प लाईन 181 पर श्री ज्ञानेश कुमार मोबाईल नम्बर 9828346151 ग्रिवांस आईडी 01210679363954 के सम्बन्ध में बाबत् अभियोग संख्या 40/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट दिनांक 26.01.2021 पुलिस थाना सदर जयपुर (पश्चिम)।

प्रसंगः- श्रीमान के कार्यालय के पत्रांक 234 दिनांक 04.02.21 एवम् थानाधिकारी सदर के पत्रांक 906-7 दिनांक 08.02.21 के संदर्भ में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है दिनांक 26.01.2021 को अपनी वापसी थाना पर श्री महेन्द्र सिंह उपनिरीक्षक थाना सदर ने दर्ज किया कि थाना हाजा से वास्ते नाकाबन्दी मय जाप्ता मय वाहन सरकारी चालक के रवाना होकर यूकों बैक के सामने हसनपुरा रोड पहूच, जहा बैरियर लगा कर नाकाबन्दी कर वाहन चैकिग शुरू की गई, दौराने वाहन चैकिग एक मोटर साईकिल सवार हटवाडा तिराहा से शिव मंदिर की तरफ चलाकर आता हुआ नजर आया, जो नाकाबंदी पर खडे जाप्ते व बैरियर को देख कर नाकाबंदी कर रहे पोईन्ट से करीब 30-40 मीटर दुर ही मोटर साईकिल को रोक कर खडा हो गया, चूकि मोटर साईकिल सवार ने हेलमेट नही पहन रखा था। जिस पर मन उप निरीक्षक महेन्द्र सिंह ने जाप्ते को हमरा लेकर मोटर साईकिल सहित रूके हुये व्यक्ति की तरफ आगे बढे तो शक्स अचानक पुलिस को अपनी तरफ आता देख कर मोटर साईकिल को साईड स्टेण्ड पर लगा कर एनबीसी पार्किग दुर्गा विस्तार की तरफ भाग गया। शक्स का इस तरह मोटर साईकिल खडी करके भागना संदिग्ध प्रतीत होने पर मन उप निरीक्षक द्वारा कानि. श्री ईश्वर सिंह न. 7708 को शक्स की मोटर साईकिल की निगरानी हेतु मौके पर छोड कर मन उप निरीक्षक व जाप्ते द्वारा शक्स का पीछा किया गया, परन्तु शक्स दुर्गा विस्तार में स्थित शमशानघाट तक नजर आया, उसके पश्चात नजरो से ओछल हो गया। जिस पर आसपास निवासरत व राहगीरो से भागने वाले शक्स के बारे में पूछताछ की तो कोई जानकारी प्राप्त नही हुई। जिस पर रवाना होकर पुनः शक्स द्वारा छोडी गई मोटर साईकिल के पास पहूचा तथा मोटर साईकिल को चैक किया, मोटर साईकिल के नम्बर आर.जे. 14 जे क्यू 1053 स्पलेण्डर पल्स इंजन नम्बर HA10AGK4C04251 चैचिस नम्बर MBLHAW092K4C02273 होना पाया गया। चूकि शक्स का इस तरफ मोटर साईकिल को छोड कर भागना संदिग्ध प्रतीत होने पर मोटर साईकिल का रिकार्ड राजकोप एप्लीकेशन से चैक किया गया तो उक्त मोटर साईकिल का स्वामी श्री शाहरूख पुत्र श्री अकबर निवासी 102 दुर्गा विस्तार रावल जी बंधा ,खातीपुरा रोड जयपुर होना ज्ञात हुआ। जिस पर मोटर साईकिल की चाबी जो मोटर साईकिल में लगी हुई थी को निकाल कर उक्त मोटर साईकिल का टूल बॉक्स खोल कर चैक किया तो टूल बाॅक्स में एक प्लास्टिक की थैली जिसमें हल्का भूरे रंग का पाउडर रखा हुआ नजर आया, जिस पर थैली को हमरा जाप्ते के सामने निकाल कर चैक किया तो अवैध मादक पदार्थ स्मैक होना पाया, जिस पर हमराही जाप्ते को चैक करवाया तो जाप्ते ने भी स्मैक होना बताया। इस संबंध में उच्चाधिकारीयो को हालात निवेदन किये, जिस पर उच्चाधिकारीयो द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देष प्राप्त होने पर मोटर साईकिल नम्बर आर.जे. 14 जे क्यू 1053 स्पलेण्डर पल्स इंजन नम्बर HA10AGK4C04251 चैचिस नम्बर MBLHAW092K4C02273 के चालक का अपराध धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का पाया जाने पर उपस्थित जाप्ते में सें श्री ईश्वर सिंह कानि. न. 7708, श्री राजेन्द्र सिंह कानि. 8213 को मौतबिर मामूर कर मौके पर मिली अवैध मादक पदार्थ स्मैक को प्लास्टिक की थैली सहित मौके पर इलेक्ट्रोनिक कांटा से तौला गया तो कुल वजन थैली सहित 69 ग्राम 70 मिलीग्राम स्मैक होना पाया गया। मादक पदार्थ स्मैक को थैली से बाहर निकालकर तोला गया तो कुल शुद्ध वजन 67 ग्राम 700 मिलीग्राम स्मैक

mw 771
10-2-21

मिली। उक्त बरामद स्मैक में से 1 ग्राम 500 मिलीग्राम सैम्पल व 1 ग्राम 500 मिलीग्राम कन्ट्रोल सैम्पल अलग अलग पोलिथीन की थैली में लिया जाकर दोनो थैलियों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में स्मैक सहित रख कर सील मोहर कर सैम्पल पैकिट पर मार्का A व कन्ट्रोल सैम्पल पैकेट पर मार्का A1 अंकित किया गया, शेष रहे 64 ग्राम 700 मिलीग्राम मादक पदार्थ स्मैक को उसी पोलिथीन की थैली में रख, पोलिथीन की थैली को एक सफेद कपडे की थैली में रख कर सील मोहर कर पैकेट पर मार्का B अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया व मोटर साईकिल नम्बर आर.जे. 14 जे क्यू 1053 स्पलेण्डर पल्स इंजन नम्बर HA10AGK4C04251 चैचिस नम्बर MBLHAW092K4C02273 को बतौर वजह सबूत जरिये फर्द जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। बाद कार्यवाही मोटर साईकिल स्वामी शाहरूख की तलाश प्लाट न. 102 दुर्गा विस्तार रावल जी बंधा ,खातीपुरा रोड जयपुर पर पहूच कर की गई, तो पता चला की शक्स शाहरूख काफी समय पूर्व उक्त पते पर निवास करता था। अब कहा रह रहा है जानकारी प्राप्त नही हो सकी। आदि पर अभियोग संख्या 40/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान मन् नरेश कुमार पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी बनीपार्क द्वारा किया जा रहा है। प्रकरण में पंजीकृत वाहन स्वामी की तलाश व अनुसंधान जारी है।

रिपोर्ट अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

भवदीय

थानाधिकारी
पुलिस थाना बनीपार्क
जयपुर (पश्चिम)

थानाधिकारी
पुलिस थाना बनीपार्क
जयपुर (पश्चिम)